दिनांक 01.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 01/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग

श्री विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 01.09.2023 को पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी/चेहल्लुम आदि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की गयी।

वीडियों कॉन्सफ्रेसिंग के दौरान मुख्यालय से विशेष पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/अपराध, पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिये गये :–

- समस्त जनपदों में जन्माष्टमी के आयोजन, स्थलों एवं जलूसों आदि को सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्थापन किया जाये ।
- चेहल्लुम के जलूस व अन्य आयोजन से सम्बन्धित अन्जुम व अखाड़ो को सूचीबद्ध कर आयोजकों की गोष्ठी कर ली जाये।
- चेहल्लुम के अवसर होने वाले समस्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अन्जुमनों/कमेटियों के साथ गोष्ठी में चर्चा कर कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पूर्व से योजना बना ली जाये।
- जन्माष्टमी/चेहल्लुम के अवसर पर विगत वर्षो अथवा इस वर्ष में अभी तक जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो उन स्थानों पर

पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाये एवं विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए समुचित एवं त्वरित रिस्पांस किया जाये।
- शोभा यात्रा/जलूस के नये रास्ते/नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाये।
- असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वो की सूची को अद्यावधिक करते हुये कड़ी निरोधात्मक/वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- समस्त आयोजकों धर्मगुरूओं, धर्मस्थल के प्रबन्धक, पीस कमेटी, सिविल डिफेन्स तथा सभ्रान्त व्यक्तियों की स्थानीय मजिस्ट्रेट व अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में संवाद स्थापित करते हुये समस्याओं का निराकरण करा लिया जाये।
- शोभा यात्रा/जलूस के मार्ग व स्थान पर अविलम्ब समुचित सीसीटीवी कैमरे स्थापित करा दिये जाय।
- जिन मार्गो पर यातायात डायवर्जन किया जा रहा है तथा शोभायात्रा/जुलूस निकलना है, इसकी सूचना विद्युत विभाग को दे दी जाये। विद्युत विभाग तथा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर विद्युत पोल/लूज तारों को सही करा लिया जाये।
- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपदों के बाहर आने जाने के कारण आवागमन के साधनों यथा रेल/बस स्टेशनों पर काफी भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किये जाय।
- जन्माष्टमी के दृष्टिगत हॉट स्पॉट चिन्हित कर प्रभावी पुलिस व्यवस्थापन किया जाये।
- समस्त जनपदों में प्रातःकाल गश्त/चेकिंग हेतु पुलिस पार्टी नियमित रूप से निकाली जाये।

- शोभा यात्रा के दौरान कार्यक्रमों की समुचित वीडियोग्राफी करायी जाय, सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय करा लिया जाय तथा ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाय तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुये भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।
- त्यौहार से पूर्व समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अभिसूचना कर्मियों की ब्रीफिंग कर दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई अनुपालन कराया जाये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति होने पर दी गयी शुभकामनाएं

श्री विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 01.09.2023 को पुलिस मुख्यालय में कार्यरत श्री आलोक कुमार पाठक, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री डी0के0राय व श्री अरूण राय को निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति होने पर उन्हें रैंक लगाकर शुभकामनायें दी गयी।

<u>आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा</u>

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मटेरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मटेरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 (2) पॉक्सो

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 62 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/328/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बन्टी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 62 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना रोरावार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना रोरावार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रहीश उर्फ बिहारी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बिसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 489बी/489सी भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त घनश्याम को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31/01.09.2023 को थाना छतारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहासू रोड स्थित मण्डी के पास बाग में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लटूरी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर पर पंजीकृत अभियोग धारा 395/412 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लटूरी निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनियां जनपद बुलन्दशहर हालपता–ग्राम नंगला बंजारा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31.08.2023 की रात्रि थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जयसिंघा मोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त वजीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—वजीर निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा</u>

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 06 हजार 300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, पर्स, डी0एल0, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों कार, 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31.08.2023 को थाना मौदहा, थाना सिसोलर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परछा मोड़ से 07 अभियुक्तों 1—मो0 सद्दाम 2—अरमान 3—पवन कुमार 4—जमसेउद्दीन 5—विष्णुकान्त श्रीवास 6—अजय 7—प्रशान्त उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 06 हजार 300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, पर्स, डी0एल0, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों कार, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 30.08.2023 को थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मौदहा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मौदहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 सद्दाम निवासी तकिया (पूर्वी तरौस) कस्बा मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2–अरमान निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

3–पवन कुमार निवासी मोहल्ला हुसैनिया कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

4–जमसेउद्दीन निवासी मोहल्ला बाघू कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

5–विष्णुकान्त श्रीवास निवासी मोहल्ला हटवारा कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

6–अजय निवासी काशीराम कालोनी मराठीपुरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

7–प्रशान्त उर्फ आकाश निवासी मोहल्ला हुसैनिया कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये 06 हजार 300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, पर्स, डी0एल0, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि।

2–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों कार।

3–01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद खीरी/थाना खमरिया

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31.08.2023 को थाना खमरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेहटा चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खमरिया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खमरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– छोटेलाल निवासी ग्राम ईश्वारा थाना खमरिया जनपद खीरी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 32 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **01 स्कार्पियों वाहन**
- **03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 31.08.2023 को थाना डिडौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–मुजाहिद 2–डा0 बाबू अली 3–तहिर 4–सौरभ 5–जाकिर 6–धर्मवीर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 32 लाख 30 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 स्कार्पियों वाहन, 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना डिडौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मुजाहिद निवासी बहेडी ब्रह्मनान थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

2–डा0 बाबू अली निवासी ग्राम दौलरा थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद हाल पता–सागर हाउसिंग कॉप्लेक्स अनूपशहर रोड़ थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़।

3–तहिर निवासी वार्ड नं0–15 काजीपुरा थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद।

4–सौरभ निवासी मोहल्ला हर्षनगर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

5–जाकिर निवासी ग्राम रवाना थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

6–धर्मवीर निवासी करीमपुर जब्ती थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 32 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2–07 मोबाइल फोन।

3–01 स्कार्पियों वाहन।

4–03 मोटर साइकिल आदि।

<u>एसटीएफ: जनपद आजमगढ़ के थाना</u> थाना मेहनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–308/23 धारा 364/302/201/120बी भा0द0वि0 में वांछित, रू0 <u>50,000/––50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण थाणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।</u>

दिनाक 01–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद आजमगढ़ के थाना थाना मेहनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–308/23 धारा 364/302/201/120बी भा0द0वि0

में वांछित, रू0 50,000/——50,000/— के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगणों को थाणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1. अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव नि0 मालपार, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
2. दिनेश यादव उर्फ गोलू पुत्र बेलास यादव नि0 मालपार, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
3. बेलास यादव उर्फ रामबेलास यादव पुत्र स्व0 शंकर यादव नि0 मालपार, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः—

1—मोबाइल फोन—01 अदद।

2—आधार कार्ड—01 अदद।

3—नगद 1820/—रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

ठाकुर माल के अपोजिट बस स्टॉप, काशीमीरा जनपद थाणे (महाराष्ट्र)। दिनांक 01—09—2023

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक अमित श्रीवास्तव व निरीक्षक अतुल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद आजमगढ़ के थाना मेहनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0—308/23 धारा 364/302/201/120बी भा0द0वि0 में वांछित, रू0 50,000/——50,000/— के पुरस्कार घोषित अपराधीगण अनिल यादव, दिनेश यादव उर्फ गोलू, बेलास यादव उर्फ राम बेलास यादव निवासीगण मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ काफी समय से फरार चल रहें है। इनके थाणे (महाराष्ट्र) में लुकछिप

कर रहने की सूचना एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी को प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड वाराणसी की उक्त टीम उक्त सूचना को विकसित करते हुये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की प्रत्याशा में थाणे (महाराष्ट्र) पहॅुची। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अपराधी वर्तमान में ठाकुर माल के अपोजिट बस स्टॉप, काशीमीरा जनपद थाणे (महाराष्ट्र) के पास मौजूद हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अनिल यादव, दिनेश यादव उर्फ गोलू एवं बेलास यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछतांछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि बेलास यादव उर्फ रामबेलास यादव एवं अवधेश यादव के मध्य जमीन संबंधी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर वर्ष 2001 में बेलास यादव उर्फ रामबेलास यादव के बडे भाई मारकण्डेय यादव की हत्या अवधेश यादव आदि के परिवार ने कर दिया था। इस संबंध में अवधेश यादव, कमला यादव आदि के विरूद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मारकण्डेय यादव की हत्या का बदला लेने के लिये मारकण्डेय यादव के लडके सतीश यादव आदि ने मिलकर वर्ष 2019 में अवधेश यादव की हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। अवधेश यादव हत्याकाण्ड के गवाहों आदि पर अभियुक्तगण द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2021 में अवधेश यादव के हत्याकाण्ड के वादी व गवाहों पर दबाव बनाने के उद्‌देश्य से कैलाश यादव के ऊपर प्राणघातक हमला किये जाने आदि का पूर्व नियोजित ढंग से एक मुकदमा कैलाश यादव आदि द्वारा पंजीकृत कराया गया था, परन्तु पुलिस द्वारा विवेचना/जॉच से पाया गया कि कैलाश यादव द्वारा अपने ऊपर हमला गवाहों के फसाने आदि के उद्‌देश्य से सुनियोजित ढंग एक साजिश के तहत किया गया है तो इसमें कैलाश यादव आदि को ही अभियुक्त बना दिया गया। अवधेश यादव हत्याकाण्ड में राम दुलार यादव निवासी मालपार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ चश्मदीद गवाह थे, परन्तु अभी तक इनकी गवाही न्यायालय में नही हो पायी थी। गवाह राम दुलार यादव मालपार से थोडी दूर निहोरगंज बाजार में एक मेडिकल स्टोर था, जहॉ

आते जाते थे। दिनांक 21–02–2023 को रामदुलार यादव अपने घर नही पहुचें और इनकी लाश अठगांवा कॉलेज के पास पायी गयी थी। इस संबंध में थाना मेहनगंज जनपद आजमगढ में मु0अ0सं0–308/23 धारा 364/302/201/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था, जिसमें अनिल यादव, दिनेश यादव उर्फ गोलू, बेलास यादव उर्फ राम बेलास यादव निवासीगण मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ काफी दिन से फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर आजमगढ पुलिस द्वारा 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। ये सभी थाणे (महाराष्ट्र) में लुकछिप कर रह रहे थे।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण के ट्रांजिट रिमाण्ड के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———–